संख्या- 61/2019/992 /71-1-2019-जी-133/2018

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/957, दिनॉक 29-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में रू0 1,27,09,000/- (रू0 एक करोड़ सत्ताइस हजार नौ हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में रू0 1,27,09,000/- (रू0 एक करोड़ सत्ताइस हजार नौ हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

4- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों 03 साल तक वैध रहेगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

6- प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित निदेशक की होगी।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

8- उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात उपकरण क्रय किये जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

12- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-523/दस-2019, दिनॉक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

29/03/19

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्याः- 61/2019 / 992 (1)/71-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

29.3.19

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–65–मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	500.00	127.09	127.09	127.09	372.91
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी–43–राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर–					
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	400.00	500.14	127.09	127.09	527.09

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– 527.09

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत पूँजी पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना में मानक मद–26– मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र रू0 127.09 लाख की बचत संभावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

महानिदेशालय के पत्र संख्या–एमई/पर्चेस/2019/1290 दिनांक 27 मार्च, 2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर ने पत्र संख्या–4552/एस0पी0एस0 /2019, दिनांक 26 मार्च, 2019 में उल्लेख किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–162/2018/2235/71–2018–जी–133/2018 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा रू0 3,80,00,000/–(रू0 तीन करोड अस्सी लाख मात्र) एवं शानसादेश संख्या–292/2018/4672/ 71–2018–जी–133/2018 दिनांक 30.11.2018 के द्वारा रू0 1,20,00,000.00 (रू0 एक करोड बीस लाख मात्र) अर्थात कुल 500.00 लाख द्वारा इस मेडिकल कालेज में 500 शैय्या बाल रोग चिकित्सा संस्थान के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु "मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/–(रू0 पाँच करोड़ मात्र) में से रुपया 1,00,13,752.00 (रू0 एक करोड तेरह हजार सात सौ बावन मात्र) के लम्बित देयकों तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद–26–मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष रू0 283.50 लाख की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18 जून, 2018 द्वारा प्रदान की गयी है एवं अवशेष धनराशि रू0 87.70 लाख में से लम्बित देयता हेतु रू 26.95 लाख, जिस हेतु कुल धनराशि रू0 127.09 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या–879/13-3-529 दिनांक–30-3-19

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

30/3/2019

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या–6//2019/992/71–1–2019–जी–133/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, गोरखपुर।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव

Anu S.P.M.